न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/10230/2003/बाड़मेर

1— मोडा पुत्र आशा

2— भूरा पुत्र मोडा

3— राउ पुत्र मोडा

4— गंगा पुत्र मोडा

5— दौला पुत्र मोडा

समस्त कौम जाट साकिन जूनी उन्दरी तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर।

—अपीलांटस

बनाम

1— विरधा पुत्र आशा कौम जाट साकिन जूनी उन्दरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

2— तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाड़मेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री एस0पी0 औझा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2

रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 30.07.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर—जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा अपील संख्या 52/95 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18—12—1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय

बाड़मेर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मौजा जूनी उन्दरी के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी का खेत करीब 467 हल साठीकडे के आए हुए हैं, जिस पर कदीम से कब्जा काश्त वादीगण का वक्त सेटलमेंट से आज तक चला आ रहा है। वक्त पैमाईश वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने उक्त खेतों को बंदोबस्त वालों के साथ रहकर नपाया था, लेकिन बंदोबस्त वालों ने परचा लगान जारी करते वक्त वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम खेत खसरा संख्या 122 रकबा 164 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 116 रकबा 81 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 235 रकबा 93 बीघा 8 बिस्वा व खसरा संख्या 115 रकबा 16 बिस्वा का पर्चा लगान जारी कर दिया, लेकिन खसरा संख्या 116 के लगभग करीब 10 साठीकडे की भूमि खसरा संख्या 203 के साथ–साथ रकबा 61 बीघा बिला कब्जा दर्ज कर दिया गया। अतः वादीगण ने उक्त वाद प्रस्तुत कर विवादित भूमि की खातेदारी घोषित करने की इस्तदुआ चाही। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.1981 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपीलांटस की अपील को अपने निर्णय दिनांक 09–09–1985 द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20–05–1995 द्वारा अपीलांट का दावा पुनः निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा पुनः प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर के समक्ष पेश की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–98 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है ।

अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 09.09.85 को स्पष्ट आदेश दिया था कि इस संबंध में मौके की जांच की जाकर यह ज्ञात करना आवश्यक था कि क्या वास्तव में विवादग्रस्त भूमि और वादीगण के खातेदारी के खेत दोनों एक ही खेत के रूप में है और उनके बीच में कोई माठ आदि नहीं है। तहसील में खसरा गिरदावरी आदि मूल अथवा उसकी नकल मंगवा कर संवत् 2012 से उसके कब्जा काश्त की स्थिति की जांच करना भी आवश्यक है। इस आदेश की अधी0न्याया0 ने पालना किए बिना ही निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 में वादीगण/अपीलांट द्वारा अपने लगातार कब्जा व काश्त स्वरूप 27 दस्तावेजात पेश किये जिन पर गौर न करने में भी कानूनी त्रुटि कारित की है। वादी/अपीलांट द्वारा आस–पड़ौस के छः गवाहान के बयान करवाए गए थे जिन पर भी गौर किए बिना ही विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किए जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित वास्तविक कदीमी कब्जा स्वरूप मौके की रिपोर्ट पर भी गौर न करने में विचारण न्यायालय ने भारी त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्तनीय योग्य है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.98 तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.95 को निरस्त किया जावें तथा अपीलांटस की खातेदारी विवादग्रस्त खसरा संख्या 203 रकबा 61 बीघा का खातेदार घोषित किया जावें।

5– विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे तर्क दिया कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर वक्त बंदोबस्त से अपना कब्जा काश्त बताया है लेकिन वास्तव में खेत एक नहीं है। दोनों खेत अलग–अलग है। खसरा नंबर 203 रकबा 61 बीघा भूमि सरकारी जमीन है तथा जिस पर अपीलांट ने अतिक्रमण किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए जाने के उपरांत विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने पर अपीलीय न्यायालय ने भी इसे यथावत् रखा है जो भी विधिसम्मत् निर्णय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में पूर्ण

विवेचन, विश्लेषण करते हुए वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें ।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने खसरा नंबर 203 रकबा 61 बीघा पर वक्त सेटलमेंट से स्वंय का कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है । उक्त आशय का वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित कुल चार तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03—07—1981 के द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09—09—1985 के द्वारा अपीलांटस/वादीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि—''विवादित भूमि के संबंध में मौके की जांच की जाकर यह ज्ञात करना आवश्यक था कि क्या वास्तव में विवादग्रस्त भूमि और वादीगण के खातेदारी के खेत दोनों एक ही खेत के रूप में है और उनके बीच में कोई माठ आदि नहीं है । तहसील से खसरा गिरदावरी आदि मूल नक्शा उसकी नकले मंगवा कर संवत् 2012 से उसके कब्जे काश्त की स्थिति की जांच करना भी आवश्यक है ।''

8— अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 20—05—1995 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया है । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि—''वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से होना बताया है परन्तु इस कथन की पुष्टि में खसरा परिवर्तनशील की नकले पेश नहीं की है । वादीगण ने केवल संवत् 2024, 2033, 2034, 2035, 2040, 2043, 2045 के खसरा परिवर्तनशील ही पेश किये है जिसके अनुसार वादीगण का संवत् 2023 के पश्चात् कभी कभी अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा रहा है । सैटलमेंट संवत् 2012 में हुआ था परन्तु सैटलमेंट से

वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत करने में वादीगण असमर्थ रहे है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत रसीदों से भी यह साबित होता है कि वादीगण द्वारा सरकारी भूमि पर समय–समय पर अतिक्रमण करने पर उसे बेदखल किया जाता रहा है तथा जुर्माना एवं फसल नीलामी की कार्यवाही की जाती रही है । पटवारी हल्का द्वारा भी अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के विरूद्ध संवत् 2012 से 2023 तक कोई अतिक्रमण दर्ज नहीं है । संवत् 2023 के पश्चात् विवादित खसरा के आंशिक भाग पर ही वादीगण का अतिक्रमण रहा है ।'' विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष से हम सहमत है कि क्योंकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में बरवक्त सेटलमेंट से विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होने का कथन किया है । उक्त कथन को साबित करने का भार स्वंय वादीगण पर था जिसमें वह पूर्णतया असफल रहा है। वादीगण द्वारा अपना निरन्तर कब्जा काश्त दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया जाना आवश्यक था । जो खसरा गिरदावरियां पेश की गई है उनसे भी विवादित भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है । यही नहीं समय समय पर वादीगण के खिलाफ कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण हटाया गया है। इसी कारण विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते हैं।

9– परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–1998 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष